2022/256

आदेश पत्रक

(नियम 13)

(General (Civil), Rule 103, Appendix 'B', Form No. 9)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी झुन्झुनूं (राज.)

छाजूराम

बनाम

तहसीलदार

किस्म मुकदमा प्र० प० 136 LRA नम्बर 23/2022 सन्

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
07/03/2022	प्रार्थना–पत्र प्रार्थी जरिये वकील पेश किया गया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजीस्ट्रर हो। अप्रार्थी की तामील जरिये रजीस्ट्री – ऐडी से करवायी जावें वकील प्रार्थी रजीस्ट्री – ऐडी की रसीद नियत तारीख पेशी तक पेश करें तहसीलदार उदयपुरवाटी को जांच हेतू तहरीर जारी हो पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी दिनांक 8-03-22 को पेश हों [signature]	
8/3/2022	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप.। तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट/मौका प्राप्त/ पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 15/3/2022 को पेश हो [signature]	
15.3.22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम पौंख के खसरा नम्बर 1792 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम मूला पुत्र माधा की जगह मुन्शाराम पुत्र माधा दुरुस्त [illegible] जावे। प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी के [illegible] खसरा नं. 323 एवं जांच [illegible] ग्राम पौंख के खसरा नं. 1792 में मूला पुत्र माधा का नाम गलत दर्ज है। इसका सही नाम मुन्शाराम पुत्र माधा है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:29:35 IST
Reason: SelfAttested

आदेश	कार्यवाही विवरण

दस्तावेजात, अप्रार्थी के जवाब प्रा० पत्र एवं अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम मुन्शाराम है। अतः ग्राम पौंख के खसरा नम्बर 1792 के राजस्व रिकार्ड में फूला पुत्र माधा के स्थान पर मुन्शाराम पुत्र माधा दुरुस्त किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 LR Act स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पौंख के खसरा नम्बर 1792 रकबा 0.13 है. के राजस्व रिकार्ड में फूला पुत्र माधा की जगह मुन्शाराम पुत्र माधा दुरुस्त किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

15/3/22

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:29:35 IST
Reason: SelfAttested